तक्ष-शिला विद्या मंदिर शिक्षा सोसायटी और अन्य
बनाम
हरियाणा शहरी विकास

प्राधिकारी और अन्य *(*एम.एम. कुमार, जे.*)*

छंटनी के स्वरूप में जब सेवा की समाप्ति की तारीख की शिकायत की जाती है .तिथि का पता लगाने के बाद, पीछे की ओर बढ़ें बारह महीने की अवधि से पहले की तारीख समाप्ति और फिर पता चलता है कि क्या 12 महीने अवधि के भीतर, काम करने वाले ने एक 240 दिनों कीअवधि के लिए सेवा प्रदान की है इन तथ्यों पर , अगर पक्ष में सकारात्मक जवाब दिया तो काम करने वाले को यह मान लेना होगा कि काम करने वाला एक वर्ष की अवधि के लिए निरंतर सेवा में है. इस प्रकार, वह पात्रता योग्यता अधिनियम की धारा 25-एफ को पूरा करने के लिए अधिनियमित लिया जाएगा "

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं इससे सम्मानजनक असहमति रखता हूँ सूरज पाल सिंह और अन्य (उपरोक्त) के मामले में फैसला सुनाया गया

(12) वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित किया गया है औद्योगिक द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक 20 मई, 2005 (अनुलग्नक पी-3) ट्रिब्यूनल-सह-श्रम न्यायालय, हिसार को रद्द कर दिया गया है।

R.N.R.

इससे पहले एम.एम. कुमार और जोरा सिंह, जे.जे.

तक्ष-शिला विद्या मंदिर शिक्षा सोसायटी
और अन्य , — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा अर्बन विकास क्षेत्र
तथा अन्य , — उत्तरदाताओं

सी.डब्ल्यू.पी. ***2007*** की संख्या ***11416***

24 फ़रवरी ***2009***

भारत का संविधान, ***1950***-अनुच्छेद। ***226***-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिनियम, ***1977***—एस.***17(3)***—हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम ***2003***—अध्याय ***2,***

आरआई.***4***—द्वारा भूखंडों का आवंटन प्राइमरी/हाई स्कूल की स्थापना के लिए

हुडा-याचिकाकर्ता दौड़ रहे हैं पिछले ***10*** से ***30*** वर्षों के स्कूल—संबंध में कोई वर्गीकरण

नही भूखंडों के आवंटन के समय नर्सरी/प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाएं-अधिनियम

2003 नियमों का अधिनियमन- प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी को वर्गीकृत करने वाले ***2003*** नियम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-***2003*** नियमों के बाद स्थलों का वर्गीकरण- की प्रयोज्यता - केवल उस अवधि के बाद किए गए ऐसे आवंटन - याचिकाकर्ताओं द्वारा इतने लंबे समय तक स्कूल चलाना न्यायसंगत नहीं है प्राथमिक/उच्च विद्यालयों के लिए आवंटित स्थलों में अपने विद्यालय बंद करें इसे नर्सरी या के लिए भूमि के उपयोग से बाहर नहीं माना जा सकता है प्री-नर्सरी कक्षाएं- संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर आपत्ति रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को नर्सरी चलाना जारी रखने का हकदार माना गया/ प्री-नर्सरी कक्षाएँ।

निर्धारित किया गया है। कि हुडा के अधिकारियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से किया है क्योंकि यह किसी भी आदेश के अभाव में अज्ञानता को अस्वीकार करता है इस न्यायालय द्वारा, ऐसा कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, जैसा कि किया गया है इन मामलों में किया गया. इसके अलावा किसी में भी कोई निषेध नहीं है प्राइमरी एवं हाई स्कूल के लिए भूमि आवंटन का आवंटन पत्र, वह प्री- प्राथमिक कक्षाओं की अनुमति नहीं होगी। नर्सरी की अवधारणा और प्री-नर्सरी कक्षाएं 2003 में नियमों के तहत ही शुरू की गई थीं। (पैरा 16*)*

इसके अलावा, यह माना गया कि सभी स्कूल साइटों पर विचार किया जाना चाहिए प्री-नर्सरी/नर्सरी और प्राथमिक कक्षाओं के प्रयोजन के लिए आवंटित क्योंकि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्री में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी इस अवधि के लिए नर्सरी और नर्सरी कक्षाएं बिना किसी स्कूल के होंगी जब इन विद्यालयों को आवंटन किया गया। इसलिए 2003 के बाद साइटों के वर्गीकरण के नियम किसी पर भी लागू होंगे उस अवधि के बाद आवंटन किया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता रहे हैं इतने लंबे समय तक स्कूल चलाना न्यायसंगत नहीं होगा अपने स्कूल पूरी तरह से बंद करें। उन्हें तदनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है आवंटन की शर्तों के साथ. जिन स्थलों का आवंटन किया गया है प्राथमिक/उच्च विद्यालयों को उपयोग से बाहर नहीं माना जा सकता है नर्सरी या प्री-नर्सरी कक्षाओं के लिए भूमि की. तदनुसार, आक्षेपित प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में 5 जुलाई, 2007 को आदेश

पारित किये गये संपदा अधिकारी, हुडा, फरीदाबाद द्वारा एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को नर्सरी/प्री-स्कूल चलाना जारी रखने का अधिकार होगा। नर्सरी कक्षाएँ. (पैरा 18 एवं 19)

तक्ष-शिला विद्या मंदिर शिक्षा सोसायटी और अन्य बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारी और अन्य (एम एम कुमार, जे.)

याचिकाकर्ताओं के वकील आशीष चोपड़ा।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता अजय नारा।

एम.एम. कुमार, जे.

(1) यह आदेश दायर किए गए 19 याचिकाकर्ताओं के एक समूह का निपटान करेगा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्योंकि सभी याचिकाओं में कानून के सामान्य प्रश्न उठाए गए हैं। इसके अलावा, सभी में याचिकाकर्ताओं की चुनौती 5 तारीख के अलग-अलग लेकिन समान आदेशों को है जुलाई, 2007, संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास द्वारा पारित प्राधिकरण, फ़रीदाबाद। याचिकाकर्ताओं ने निर्देश देने का भी अनुरोध किया है उत्तरदाताओं को प्री- सहित अपने स्कूलों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए प्राथमिक/नर्सरी कक्षाएँ।

(2) इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता संख्या 1 निजी तौर पर विभिन्न हैं प्रबंधित शैक्षणिक संस्थान/सोसाइटियां, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर अपने विद्यालय चलाकर निवासियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना फ़रीदाबाद के सेक्टर हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल का सम्मेलन इन याचिकाओं में (रजि.) याचिकाकर्ता नंबर 2 के बारे में एक एसोसिएशन है एक सौ अट्ठानवे गैर-सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल हरियाणा राज्य. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपने स्कूल स्थापित किये हरियाणा शहरी द्वारा उन्हें आवंटित भूखंडों पर निर्माण करना 1979 से 1996 के बीच विकास प्राधिकरण। यह उचित होगा याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन का विवरण इकट्ठा करना स्कूल, सेक्टर, भूखंड का आकार और संकेत के अनुसार आवंटन का उद्देश्य आवंटन पत्रों के साथ-साथ पट्टा विलेख/संवहन विलेख में भी जिसे बाद में हुडा और विभिन्न आवंटियों के बीच निष्पादित किया गया। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:-

क्रमांक।	सी डब्ल्यू पी नं.	आवंटन पत्र/ पट्टे का विलेख/विलेख वाहन	क्षेत्र	आकार	साइट के आवंटन का उद्देश्य जैसा कि आवंटन पत्र/पट्टा विलेख/संवहन विलेख में उल्लिखित है
1	11405 - 2007 का	RA-III-93/301,24 अगस्त 1993,लीज दिनांक शून्य.	15 फरीदाबाद	5086088 एकड़ (7301.6) वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय
2	114152 007 का	आरए-III-93/563-6 4 का। दिनांक 14 फरवरी 1994 लीज डीड दिनांक 28 मई 2004	28 फरीदाबाद	1.36 एकड़ (5,00516 52 वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय
3	114116 2007 का	मेमो नंबर आरए-III-95/80, दिनांक 13 नवंबर 1995	3 फरीदाबाद	1एकड़	प्राथमिक विद्यालय
4	11430 2007 का	आरए-III-93/571, का। दिनांक 18 फरवरी 1994 लीज डीड दिनांक 17 august 2001	21-C फरीदाबाद	0.954847 3 एकड़	प्राथमिक विद्यालय
5	11431 2007 का	आरए-III-94/1137 का। दिनांक 10 june1994 लीज डीड दिनांक 7 december 2001	29 फरीदाबाद	7257.17 वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय
6	114132 2007 का	आरए-III-93/556 का। दिनांक 27 january 1994 लीज डीड दिनांक 27 sepetmber 2000	9 फरीदाबाद	1.490357 4 एकड़ (7213.33 वर्ग गज)	प्राथमिक विद्यालय

7	114135 2007 का	आरए-III-94/550 का। दिनांक 27 january 1994 लीज डीड दिनांक 14 मई 2001	16-A फरीदाबाद	1.4994 एकड़ वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय
8	11577 2007 का	आरए-III-93/3806-08 का। दिनांक 26 november 1993 लीज डीड दिनांक 29 december 1999	3 फरीदाबाद	1.4648527 एकड़	प्राथमिक विद्यालय
9	11578 2007 का	आरए-III-93/291 ,दिनांक 20 March 1993 लीज डीड दिनांक 24 september 2003	28 फरीदाबाद	एकड़ वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय
10	11579 2007 का	आरए-III-93/767 ,दिनांक 18 March 1994	16-A फरीदाबाद	1.2774448एकड़	प्राथमिक विद्यालय/हाई स्कूल
11	11590 2007 का	आरए-III-941/1155, दिनांक 29 June 1994	21 -A फरीदाबाद	5.0051652एकड़	प्राथमिक विद्यालय/ हाई स्कूल
12	11591 2007 का	आरए-I-94/241-42 , दिनांक 05 june 1996 लीज डीड दिनांक 16 february 2005	21-B फरीदाबाद	5 एकड़	हाई स्कूल' के लिए आवंटन पत्र के अनुसार, जबकि डीड ऑफ लीज में 'प्राथमिक विद्यालय भवन' का वर्णन है
13	11577 2007 का	आरए-III-93/3806-08 का दिनांक 20 March 1993 लीज डीड दिनांक 24 september 2003	7 फरीदाबाद	3.97 एकड़ (19239 वर्ग गज)	आवंटन पत्र में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है, जबकि डीड ऑफ लीज प्राथमिक विद्यालय का वर्णन करता है
14	11577 2007 का	आरए-III-93/3806-08 का दिनांक 20 March 1993 लीज डीड दिनांक 24	17 फरीदाबाद	1 ½ एकड़	प्राथमिक विद्यालय

		september 2003			
15	11577 2007 का	आरए-III-93/3806-08 का दिनांक 20 March 1993 लीज डीड दिनांक 24 september 2003	21 Aफरीदाबाद	1,501376 एकड़ (7266.66 वर्ग गज)	प्राइमरी स्कूल के लिए आवंटन पत्र के अनुसार', जबकि डीड ऑफ कन्वेयंस में 'फरीदाबाद के शहरी क्षेत्र में आवासीय उद्देश्य के लिए एक साइट के रूप में उपयोग किया जाना' बताया गया है।
16	11577 2007 का	आरए-III-93/3806-08 का दिनांक 20 March 1993 लीज डीड दिनांक 24 september 2003	8 फरीदाबाद	एकड़ वर्ग गज	प्राइमरी हाई स्कूल के लिए आवंटन पत्र के अनुसार, 66 वर्ग जबकि डीड ऑफ लीज सेंट थॉमस स्कूल, फ़रीदाबाद के लिए वर्णित है।
17	12273 2007 का	(i) 17575-77,दिनांक 17 june .1980 (वर्ष. पी-2) (ii) आरए-III-85/77/12 986, दिनांक 16 july,1985. (iii) आरए-III-93/579 दिनांक 24 february (iv) पट्टा विलेख दिनांक 13 मई 1997	16 फरीदाबाद	½ एकड़, (2420 वर्ग गज) अतिरिक्त 1 एकड़ अतिरिक्त 1.47 एकड़	17 जून 1980 के आवंटन पत्र में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है दिनांक 24 फरवरी 1994 के आवंटन पत्र के अनुसार भूमि का उपयोग खेल मैदान के लिए किया गया था आवंटन पत्र दिनांक 16 जुलाई 1985 के अनुसार अतिरिक्त भूमि का उपयोग स्कूल के लिए किया गया था पट्टा विलेख को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में वर्णित किया गया है

18	13020 2007 का	आरए-II 99/388 दिनांक 14 फरवरी 1994 संप्रेषण विलेख ,दिनांक 21 July 2002	21- D फरीदाबाद	484 वर्ग गज	प्राथमिक विद्यालय' के लिए आवंटन पत्र के अनुसार, जबकि डीड ऑफ कन्वेयंस में 'फरीदाबाद के शहरी क्षेत्र में स्कूल के उद्देश्य के लिए एक साइट के रूप में उपयोग किए जाने' का वर्णन है।
19	13034/20 07	आरए-3-61-563-84 /18393,का। दिनांक 9 मई 1984 लीज डीड दिनांक 21 march 1997	16- A फरीदाबाद	1.68 एकड़	प्राथमिक विद्यालय

(3) स्पष्ट है कि अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग साइज के प्लॉट हैं स्थापना के लिए हुडा द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आवंटित किए गए थे प्राइमरी स्कूल/हाई स्कूल. याचिकाकर्ताओं ने इसका निर्माण उठाया सक्षम से अनुमति और अनुमोदन लेने के बाद भवन अधिकारी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे अपना चला रहे हैं पिछले 10 से 30 वर्षों से संबंधित स्कूल और कोई वैधानिक नहीं था नर्सरी/प्राथमिक/ मध्य/माध्यमिक और के संबंध में वर्गीकरण हरियाणा राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाएँ जब भूमि उन्हें स्कूल चलाने के लिए आवंटित किया गया था। के लिए वर्गीकरण पहली बार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 (के लिए) बनाया गया था संक्षिप्तता, 'नियम'), जो 30 अप्रैल, 2003 को लागू किए गए थे विद्यालयों के संबंध में उपरोक्त वर्गीकरण नियमों का अध्याय II, नियम 4. निहित है

(4) याचिकाकर्ताओं के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब एस्टेट अधिकारी, एचयूडीए, फरीदाबाद, ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के 17 (3) संक्षिप्तता, 'अधिनियम')धारा के तहत शो कारण नोटिस जारी किए . शो कारण नोटिस में खुलासा का कारण यह था कि याचिकाकर्ता का 'नर्सरी स्कूल' चला रहे हैं, जिसे अवैध'. कहा जाता है. संपदा अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को कारण बताने के लिए बुलाया क्यों न साइट और बिल्डिंग को जब्त करने के साथ दोबारा शुरू किया जाए भुगतान की गई धनराशि का पूरा या कुछ भाग।

(5) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जारी करने का आधार ऐसे में उन्हें और अन्य स्कूलों को कारण बताओ नोटिस का फैसला सुनाया गया है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा दिया गया आदेश फ़रीदाबाद, दिनांक 7 नवंबर, 2005, एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर दिशा एजुकेशन सोसायटी. कारण बताओ जारी करने का दूसरा आधार उनके लिए नोटिस उत्तरदाताओं की जनता पर कथित निर्भरता है सी.डब्ल्यू.पी. के माध्यम से इस न्यायालय में ब्याज याचिका दायर की गई। क्रमांक 4434 ओ एफ2007 (व्यापक बाल विकास और कल्याण सोसायटी और अन्य प्रशासक, हुडा)। दावा है कि इसी कोर्ट ने निर्देश दिया था उत्तरदाताओं को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच करनी होगी और बोलने का आदेश पारित करना होगा.

याचिकाकर्ताओं ने भी नियम व शर्तों पर भरोसा किया है पट्टा विलेख जो यह बताता है कि याचिकाकर्ताओं को ऐसा करना आवश्यक था स्कूल के संचालन को प्रतिबंधित किए बिना 'एक स्कूल' स्थापित करें प्राथमिक/एमआई डीडीएल/माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाएं। उनके पास है जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति में नर्सरी की सभी कक्षाएं शामिल होंगी वगैरह।

(6) याचिकाकर्ताओं द्वारा यह खुलासा किया गया है कि 4 अप्रैल को, 2007, जब सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 4434 (सुप्रा) जिसमें पीआईएल कैंप अप शामिल है विचारार्थ, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, के समक्ष लाया गया कोर्ट का नोटिस जो संपदा अधिकारी, हुडा, फरीदाबाद के पास था की धारा 17(3) के तहत साइटों को फिर से शुरू करने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं अधिनियम और उक्त नोटिस के अनुसरण में सुनवाई 16 तारीख को तय की गई थी अप्रैल, 2007. इस न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संपदा अधिकारी, हुडा, फ़रीदाबाद को रुख सुनिश्चित करने के लिए एक मौखिक आदेश पारित करना चाहिए इससे पहले लंबित मामले पर विचार करने के लिए अधिकारियों की न्यायालय ने मामले को आगे विचार करने के लिए 25 जुलाई, 2007 के लिए स्थगित कर दिया। उक्त तिथि को याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी. 2007 का क्रमांक 4434, बनाया गया बयान में कहा गया है कि चूंकि संपदा अधिकारी, हुडा ने आदेश पारित कर दिया है। उक्त रिट याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाए। इसलिए यह कोर्ट ने आदेश दिया ।

(7) 5 जुलाई 2007 को सम्पदा अधिकारी, हुडा, फ़रीदाबाद, सभी स्कूलों के संबंध में अलग-अलग लेकिन समान आदेश पारित किए उन्हें तारीख से 15 दिनों के भीतर कथित दुरुपयोगकर्ता को रोकने का निर्देश दिया आदेश के अनुसार, ऐसा न होने पर साइट को बिना किसी अतिरिक्त कार्यवाही के फिर सूचना से शुरू किया जाना था । 5 जुलाई 2007 के मौखिक आदेश में सम्पदा अधिकारी सी.डब्ल्यू.पी. की कार्यवाही का उल्लेख करने के बाद 2007 की संख्या 4434 (ऊपर) 4 अप्रैल, 2007 को आयोजित बैठक में प्रभावी देने के लिए इसका उल्लेख किया गया हैसभी प्रभावित पक्षों को अवसर देते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई प्रमुख समाचार पत्रों में ऐसे सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो चल रहे थे अपने-अपने स्कूलों में प्री-प्राइमरी/नर्सरी कक्षाओं का उल्लंघन करते हुए आवंटन पत्र के साथ-साथ अपनी बात लिखित रूप में भी प्रस्तुत करने को कहा गया है 16 अप्रैल, 2007 को उनके समक्ष उपस्थित होकर कारण बताएं कि कार्रवाई क्यों की गई आवंटन के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए अधिनियम के तहत उनके खिलाफ पत्र नहीं लिया जा सकता. आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि स्कूलों के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगाई संपदा अधिकारी ने कहा कि प्री-प्राइमरी स्कूलों को प्राइमरी के अभिन्न अंग के रूप में प्री-प्राइमरी से अलग करने की कोई अवधारणा नहीं थी।

केंद्रीय बोर्ड स्कूल शिक्षा और भारतीय स्कूल शिक्षा परिषद भी के स्तर के औपचारिक विद्यालय के एक भाग के रूप में पूर्व-प्राथमिक को मान्यता देता है हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल. इसका भी खुलासा किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर दिल्ली की श्री अशोक गांगुली की अध्यक्षता में एक समिति, अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई. प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए गठित किया गया था नर्सरी और के.जी. में सी.बी.एस.ई. में कक्षाएं संबद्ध माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय. हुडा ने नर्सरी स्कूल की जगह आवंटित की थी 1999 के बाद जबकि विचाराधीन स्कूल नर्सरी/प्री-चल रहे हैं अपनी स्थापना के बाद से प्राथमिक कक्षाएं, जो व्यापक हित में भी है छात्रों के साथ-साथ संस्थानों की भी। उपर्युक्त पर ध्यान देने के बाद स्टैंड, संपदा अधिकारी निम्नलिखित निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़े सभी मामले :—

"मैंने भी इसके प्रावधानों का अध्ययन किया है हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003। इन नियमों के अनुसार, स्कूलों को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मध्य, के रूप में वर्गीकृत किया गया है माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। इसके अलावा, यह भी है यह स्पष्ट किया गया है कि प्री-प्राइमरी स्कूल वे स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करते हैं प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों का वर्णन किया गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के रूप में क्रमशः कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 1 से 8वीं। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के माध्यमिक चरण प्रदान करने के लिए भी वर्गीकृत किया गया है 1 से 10वीं या 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं वाली शिक्षा ऐसे स्कूल जिनमें प्राइमरी के साथ या उसके बिना 12वीं तक की कक्षाएं हों कक्षाएं..... स्कूल की साइट हुडा द्वारा सिर्फ आवंटित की गई थी प्राथमिक विद्यालय चलाएं न कि नर्सरी या प्री-नर्सरी विद्यालय। के नियम एवं शर्तों के आलोक में आवंटन पत्र, जिसमें इसका विशेष उल्लेख किया गया है हुडा द्वारा आवंटित साइटों का उपयोग इस उद्देश्य के

लिए किया जाना है आवंटन पत्र और हरियाणा स्कूल में कहा गया है शिक्षा नियम, 2003, जिसमें प्रावधान किया गया है विद्यालयों का वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण भी दिया गया सी.बी.एस.ई. इस संबंध में कि क्या सी.बी.एस.ई. सम्बद्ध विद्यालय नर्सरी कक्षाएं चला सकते हैं या नहीं, इस पर मैंने राय बना ली है कि आवंटी ने नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है आवंटन, जिससे साइट को फिर से शुरू करना आवश्यक हो गया। हालाँकि, जब से स्कूल प्री-चल रहे हैं प्राथमिक/नर्सरी कक्षाएं, मैं उन्हें रुकने का अवसर देता हूं आवंटित स्थल का दुरुपयोग न करने पर 15 दिन की अवधि के भीतर जिससे संबंधित साइट बिना किसी रोक-टोक के फिर से शुरू हो जाएगी अगली सूचना या आदेश. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब कोई समय नहीं है दुरूपयोगकर्ता को रोकने के लिए अनुमति दी जाएगी और यदि सूचना दी जाएगी ऐसा न करने के वचन के साथ दुरूपयोगकर्ता को रोकने के संबंध में पुनः आवंटित स्थल के दुरुपयोग की शिकायत कार्यालय में नहीं की जाती है 15 दिनों की उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर, बहाली का आदेश तुरंत लागू होगा। ”

(8) दिनांक 5 जुलाई, 2007 के आदेश के विरुद्ध व्यथित महसूस करना, हरियाणा प्रगतिशील स्कूल सम्मेलन के साथ कुछ स्कूल- याचिकाकर्ता नंबर 2 ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। 2007 का नंबर 10909 (हरियाणा प्रगतिशील इसमें स्कूल सम्मेलनऔर अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य अदालत। 25 जुलाई, 2007 को उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई याचिकाकर्ता स्कूलों को अलग-अलग रिट याचिका दायर करने में सक्षम बनाते हुए वापस ले लिया गया। तदनुसार, संपदा अधिकारी द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2007 को पारित आदेश, हुडा. रिट याचिकाओं के इस समूह में फ़रीदाबाद को चुनौती दी गई है। कुछ अन्य याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जो पहले ही दाखिल हो चुकी हैं हमारे द्वारा 4 नवंबर, 2008 को अनुमति दी गई (सी.डब्ल्यू.पी. नं. 10749, 12305, 11372, 18315 और 2007 का 13030)।

(9) यहां यह बताना उचित होगा कि 25 जुलाई 2007 को कब सी.डब्ल्यू.पी. 2007 का नंबर 10990 (द दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी और अन्य बनाम हुडा एवं अन्य के समक्ष विचार हेतु आये माननीय प्रथम खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

“यह हमारे समक्ष श्री एम.एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सरीन,

याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने कहा कि रिट याचिका, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश दिया गया है पारित कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ले लिया गया है याचिका, इस न्यायालय द्वारा निर्देश देते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था अधिकारी ने कहा कि विवादित आदेश पारित करें। एक और प्रस्तुतिकरण याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि संपदा

अधिकारी द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा 2003 पर भरोसा जताया गया है नियम ग़लत है. आगे यह भी तर्क दिया गया कि आबंटन की शर्तों में, प्री- चलाने पर कोई रोक नहीं थी

एक आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नर्सरी स्कूल अन्यथा वह भी अपने आगोश में समा लेता प्री-नर्सरी स्कूल चलाने के लिए बार। अगर ऐसा होता इसके विपरीत अधिकारियों का इरादा इसके विपरीत है आवंटन के समय, फिर वही प्रदान किया गया होगा पट्टा समझौते की शर्तें.

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान दिए बिना, हम श्री अजय को चाहेंगे नारा, हुडा की ओर से उपस्थित वकील इसे रिकॉर्ड पर रखेंगे आवंटित किए गए स्कूल स्थलों की स्थिति विशेष रूप से प्री-नर्सरी स्कूलों के लिए। मिस्टर नारा भी हैं क्या होगा इसका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया प्रवेश चाहने वाले छात्रों की उपलब्धता अगले दस वर्षों में प्री-नर्सरी कक्षाओं के लिए। हलफनामा इसे लागू होने से पहले हरियाणा को भी स्पष्ट करना चाहिए स्कूल शिक्षा 2003 नियमावली अलग-अलग थी या नहीं स्कूल के लिए साइटें, जैसा कि हरियाणा के अनुसार किया गया है स्कूल शिक्षा 2003 नियम यानी प्री नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम भी करेंगे याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से जानना चाहता हूं क्या याचिकाकर्ता शर्तों को पूरा कर रहे हैं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देकर पट्टा आवंटन की अवधि के अनुसार समाज के वर्गों को 10% तक।

हुडा की ओर से पेश वकील ने कुछ समय के लिए प्रार्थना की हलफनामा दायर करने के लिए. इसे 4 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। उसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, 4 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए.

इस बीच, आक्षेपित आदेश का प्रवर्तन रुके।

आदेश की प्रति भुगतान पर दस्ती दी जायेगी सामान्य शुल्कदेने पर ।"

(10) इसी प्रकार के आदेश 1 अगस्त 2007, 10 को भी पारित किये गये थे अगस्त, 2007 और 22 अगस्त, 2007 को सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 11577, 12272 का क्रमशः 2007 और 2007 का 13034। आदेशों का एक मात्र अवलोकन दिनांक 25 जुलाई, 2007, 1 अगस्त, 2007, 10 अगस्त, 2007 और 22 अगस्त, 2007 में माननीय प्रथम डिवीजन बेंच द्वारा पारित अधिनियम यह दर्शाता है हुडा को स्कूल की स्थिति रिकॉर्ड में दर्ज करने की आवश्यकता थी वे साइटें जो विशेष रूप से प्री-नर्सरी स्कूलों के लिए आवंटित की गई हैं। यह आगे एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया कि क्या होगा उन छात्रों की उपलब्धता जो प्री-में प्रवेश लेना चाहेंगे अगले दस वर्षों में नर्सरी कक्षाएँ। के माध्यम से विशेष जानकारी यह भी शपथ पत्र मांगा गया कि नियमावली लागू होने से पहले क्या स्कूलों के लिए अलग-अलग साइटें थीं, जैसा कि किया गया है नियमों के लागू होने के अनुसार यानी प्री नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस कोर्ट ने भी मांगा जानकारी दें कि क्या याचिकाकर्ता शर्तों को पूरा कर रहे हैं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देकर पट्टे आवंटन की अवधि के अनुसार 10% तक सोसायटी।

(11) इन मामलों में दर्ज लिखित बयानों में, सामान्य उत्तरदाताओं द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। यह दावा किया गया है कि रिट 5 जुलाई, 2007 के आदेश के विरुद्ध याचिकाएँ सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपील के उपाय का लाभ नहीं उठाया है। यह और भी हो गया है उल्लेख किया गया है कि आवंटन पत्र में मध्यस्थता खंड है मान लीजिए कि सभी विवाद और मतभेद किसी भी तरह से उत्पन्न होते हैं आबंटन को छूने या उसके संबंध में जो कुछ भी संदर्भित किया जाना है मुख्य प्रशासक या किसी अन्य नामांकित व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है संबंधित पक्षों। आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार प्रयोजन आवंटन पत्र में आवंटन का विशेष उल्लेख किया गया है यानी प्राथमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आदि वही एक प्रतिबंध बनाता है और याचिकाकर्ता इसकी वकालत नहीं कर सकते प्री-नर्सरी स्कूलों को चलाने के उद्देश्य से आवंटन किया गया था। हालाँकि, यह दावा किया जाता है कि उत्तरदाता पहली बार आए लीज डीड/आवंटन पत्र के उल्लंघन के बारे में जानें जब वे सी.डब्ल्यू.पी. की एक प्रति प्रदान की गई। 2007 की संख्या 4434 (उपरोक्त)। अन्य व्यापक तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया है, हालांकि यह

स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि 5 जुलाई, 2007 का आक्षेपित आदेश प्रभावित नहीं होता है किसी भी कानूनी कमजोरी से.

(12) दिनांक 25 जुलाई, 2007 के अंतर्वर्ती आदेशों के अनुसरण में, सी.डब्लू.पी. में उत्तीर्ण। 2007 का नंबर 10990, संपदा अधिकारी, हुडा, फ़रीदाबाद ने 14 फ़रवरी 2008 का उल्लेख करते हुए एक हलफ़नामा दायर किया है जिसमें से प्री-नर्सरी स्कूल के लिए 14 साइटें आवंटित की गई हैं केवल 9 साइटें पूरी तरह से निर्मित हैं और वहां स्कूल चल रहे हैं। प्रवेश चाहने वाले छात्रों की उपलब्धता के संबंध में अगले दस वर्षों में प्री-नर्सरी कक्षाओं का आंकड़ा 70,000 होगा लगभग उल्लेख किया गया है। आगे बताया गया है कि हुडा ने प्राथमिक, मध्य, उच्च और के लिए 66 स्कूल स्थल आवंटित किए हैं 14 प्री-नर्सरी स्कूल साइटों के अलावा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। में इन सभी 66 स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाएं चल रही हैं। उत्तरदाताओं फ़रीदाबाद में नर्सरी स्कूलों को आवंटित भूमि से संबंधित की ओर से एक सिविल विविध. संख्या 2008 का 22978 सी.डब्ल्यू.पी. की ओर से संख्या 11405 /2007 आवंटन पत्र की 9 फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखने के लिए की 9 फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखने के लिए दाखिल किया गया था

(13) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सूक्ष्मता से सुना है उनकी सक्षम सहायता से प्रत्येक मामले की कागज़ी किताबों का अध्ययन किया गया।

(14) याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से आवंटन पत्र जारी किये गये अभिधारणा करें कि उन्हें भूखण्डों का आवंटन संचालन हेतु कर दिया गया है प्राथमिक और उच्च विद्यालय, जैसा कि ऊपर पैरा 2 में बताया गया है, पट्टे पर हैं आधार. यहां तक कि लीज डीड की धारा 18 और 20 भी 'केवल स्कूल' की बात करती है धारा 18 के अनुसार अधिकांश मामलों में यह अनिवार्य है कि स्कूल को आर्थिक रूप से संबंधित छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित करनी हैं समाज के कमजोर वर्ग और जो शुल्क लिया जाता है सरकारी स्कूलों में प्रवेशित विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाएगा 10% श्रेणी. इसी तरह, खंड 20 ने प्राथमिकताएं तय की और उसे निर्धारित किया प्लॉट धारकों/सेक्टर के निवासियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर और स्कूल मुख्य रूप से निवासियों के लिए है केवल सेक्टर का. आवंटन पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्री-स्कूल से नर्सरी/नर्सरी स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल की अभिव्यक्ति को अलग कर सके .

(15) यह भी रिकॉर्ड पर आ गया है कि याचिकाकर्ताओं ने इसे उठाया है व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उत्तरदाताओं के सामने यह मुद्दा आया कि उस समय अलग-अलग प्री-प्राइमरी स्कूलों की कोई अवधारणा नहीं थी जब उन्हें आवंटन किया गया और प्री-प्राइमरी पर विचार किया गया प्राथमिक के अभिन्न अंग के रूप में।उन्होंने आगे उस केंद्र से अनुरोध किया था

स्कूल शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल शिक्षा परिषद प्री-प्राइमरी को औपचारिक स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा माना जाता है हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्तर। याचिकाकर्ताओं के पास है उनके समय से नर्सरी कक्षाओं जैसे प्री-प्राइमरी कार्यक्रम चला रहे हैं आरंभ। 5 जुलाई, 2007 के मौखिक आदेश में, प्राथमिक निर्भरता प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी की अवधारणा पर रखा गया है और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। उपर्युक्त वर्गीकरण प्रवाहित होता है नियम, जिसका प्रासंगिक भाग पहले ही निकाला जा चुका है ऊपर पैरा 7. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसा रुख टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि नई शर्तें आवंटन पत्र के दायरे को सीमित नहीं कर सकतीं वर्ष 2003 में बनाए गए नियमों द्वारा लगाया जाएगा। खेल के नियम खेल ख़त्म होने के बाद नहीं लिखा जा सकता. इसलिए, यह पूरी तरह से होगा के बीच किए गए आवंटनों में 2003 के नियम लागू करने में मनमानी की जा रही है 1979 से 1996। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इसका कोई उल्लंघन हुआ है आवंटन पत्र या में शामिल नियम और शर्तें अधिनियम के प्रावधान. इसके अलावा, इन सभी वर्षों के दौरान प्री-नर्सरी, याचिकाकर्ताओं द्वारा नर्सरी एवं अन्य कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं एवं चलायी जा रही हैं उत्तरदाताओं के साथ पट्टा विलेख निष्पादित कर रहा है। हम उसे आगे पाते हैं उनके द्वारा कभी भी किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है 2003 में नियम के अधिनियमित होने पर ही उत्पन्न हुआ। इसलिए, वे शामिल करने की व्याख्या को जारी रखने से रोका जाएगा 'प्राथमिक विद्यालय' अभिव्यक्ति में प्री-नर्सरी और नर्सरी स्कूल।

(16) बहस के दौरान यह भी बताया गया उत्तरदाताओं ने शुरू की गई कार्यवाही के तहत आश्रय लिया है सी.डब्ल्यू.पी में पी.आई.एल. 2007 की संख्या 4434 (सुप्रा), जो बाद में हुई वापस ले लिया गया. यह उल्लेख करना उचित होगा कि कोई आदेश पारित नहीं किया गया था इस न्यायालय ने हुडा को कारण बताओ नोटिस या पास जारी करने का निर्देश दिया पूर्व से संचालित विद्यालयों के संबंध में बहाली आदेश प्राथमिक कक्षाएँ. हमने पाया कि हुडा के अधिकारियों ने अपना काम कर लिया है शक्ति मनमाने ढंग से क्योंकि यह अज्ञानता को अस्वीकार करती है कि किसी के अभाव में इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, ऐसा कोई

भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, जैसा कि इन मामलों में किया गया है। इसके अलावा किसी में भी कोई मनाही नहीं है प्राइमरी और हाई स्कूल के लिए भूमि आवंटन का आवंटन पत्र पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं की अनुमति नहीं होगी। नर्सरी की अवधारणा और प्री-नर्सरी कक्षाएं केवल 2003 में नियमों द्वारा शुरू की गई थीं।

(17) यह नोटिस के स्थान से बाहर नहीं है कि आदेश के अनुसरण में दिनांक 25 जुलाई 2007 सी.डब्ल्यू.पी. में पारित। क्रमांक 10990 या एफ2007, कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 19, फ़रीदाबाद 10 नवंबर, 2008 को एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें कहा गया कि 10% छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है, जो पैरा संख्या 2 और से स्पष्ट है हलफनामे के 3 और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"2. सत्र 2007-2008 के लिए, वहाँ 1 छात्र था नर्सरी कक्षा, कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक में 61 छात्र; 1 कक्षा IV, VII, IX और X में प्रत्येक छात्र; प्रत्येक में 2 छात्र आठवीं और बारहवीं कक्षा में और नौवीं कक्षा में 9 छात्र। ईडब्ल्यूएस/शिक्षा केंद्र के अंतर्गत कुल 201 छात्र वर्ग। के लिए कुल व्यय/शुल्क रियायत सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस/शिक्षा केंद्र श्रेणी के छात्र 2007-2008 17,18,969 थी।

3. सत्र 2008-2009 के लिए 1 छात्र था प्रारंभिक कक्षा के साथ-साथ कक्षा IX और XII में प्रत्येक; 31 कक्षा I के छात्र; कक्षा II में 63 छात्र; 61 छात्र तीसरी और चौथी कक्षा में प्रत्येक और ग्यारहवीं कक्षा में 2 छात्र। ईडब्ल्यू एस/शिशा केंद्र में कुल 221 छात्र हैं वर्ग। का कुल व्यय/शुल्क रियायत ईडब्ल्यूएस/शिक्षा केंद्र श्रेणी के लिए छात्रों के लिए सत्र 2008-2009 रु. 31 अक्टूबर तक 7,91,178, रुपये के प्रस्तावित बजट के विरुद्ध 2008. 18,00,000.

(18) अकाट्य निष्कर्ष यह होगा कि सभी विद्यालय स्थल प्री-नर्सरी/नर्सरी के प्रयोजन हेतु आवंटित माना जाना चाहिए और प्राथमिक कक्षाएँ क्योंकि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि छात्र खोज रहे हैं प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश बिना किसी सुविधा के होंगे उस अवधि के लिए स्कूल जब इन स्कूलों को आवंटन किया गया था। इसलिए, 2003 के नियमों के बाद साइटों का वर्गीकरण होगा उस अवधि के बाद किए गए किसी भी आवंटन पर लागू।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता इतने लंबे समय से स्कूल चला रहे हैं और ऐसा ही होगा उनके स्कूलों को पूरी तरह से बंद करना न्यायसंगत नहीं होगा। उन्हें निर्देशित किया जा सकता है आवंटन की शर्तों के अनुसार कार्य करना।

(19) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम हैं इस बात पर विचार किया गया कि जिन साइटों को प्राथमिक/ उच्च विद्यालयों को भूमि के उपयोग से बाहर नहीं माना जा सकता है नर्सरी या प्री-नर्सरी कक्षाओं के लिए। तदनुसार, आक्षेपित आदेश प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 5 जुलाई, 2007 को पारित किया गया संपदा अधिकारी, हुडा, फ़रीदाबाद को इसके द्वारा बर्खास्त किया जाता है याचिकाकर्ताओं को नर्सरी/प्री-स्कूल नर्सरी कक्षाएँ चलाना जारी रखने का अधिकार होगा।

(20) उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव

प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।